

संख्या 45020/02/2022-PP-पीपी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पुलिस-॥ प्रभाग

(कार्मिक-नीति अनुभाग)

कर्तव्य भवन-03, नई दिल्ली-01

दिनांक 15 जून, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: प्रारंभिक नियुक्ति के समय ही 7 वर्षों की अवधि के लिए CBI में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के लिए CBI द्वारा अनुरोध - संबंध में।


अधोहस्ताक्षरी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त विषय से संबंधित दिनांक 22.11.2016 की नीतिगत दिशानिर्देशों और CBI से प्राप्त पत्र दिनांक 06.05.2026 जिसके तहत CBI में प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने के अनुरोध किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस मामले की जाँच की गयी और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है कि सीएपीएफ और एआर कार्मिकों को प्रारंभिक नियुक्ति के समय ही 07 वर्षों की अवधि के लिए सीबीआई में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, दिनांक 22.11.2016 की नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए हैं। पैराग्राफ 3(B) में "प्रतिनियुक्ति की अवधि" शीर्षक के तहत कुछ प्रावधानों को प्रतिस्थापित, हटाया या नए निर्देशों के अनुसार जोड़ा गया है-

Para	Deletion	Modification/Addition
3(B)(i)	The name CBI appearing in the para stands deleted.	-
3(B)(ii)	-	Para 3(B) (ii) stands revised as under :- On account of specialized nature of job, the appointment on deputation to Narcotics Control Bureau (NCB), National Investigating Agency (NIA), National Disaster Response Force (NDRF), National Security Guard (NSG) and Central Bureau of Investigation (CBI) will be 07 years at the time of initial appointment itself. No further extension will be granted in any case as per the guidelines of Department of Personnel and Training. These organizations are required to take advance steps well in advance to get a suitable replacement appointed.

4. CBI अपने सम्बंधित भर्ती नियमों में DoPT के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.05.2018 के अनुसार आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करे।
5. ये दिशानिर्देश इस OM के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे।
6. यह माननीय गृह मंत्री जी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।


15/6/26

(शिव लहरी मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंबर- 011-24010186

सेवा में

1. महानिदेशक CRPF/BSF/CISF/ITBP/SSB/AR/NIA/NCB/NDRF/NSG
2. निदेशक CBI

प्रतिलिपि:

1. पुलिस प्रभाग-2 के सभी निदेशक एवं उप निदेशक।
2. अनुभाग अधिकारी (आई.टी), गृह मंत्रालय- उपरोक्त संचार को गृह मंत्रालय की वेबसाइट (पुलिस डिवीज़न-II) (संयुक्त राष्ट्र में नियुक्तियों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश) के तहत अपलोड करने के अनुरोध के साथ।